<u>न्यायालय–विशिष्ट न्यायाधीश, महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण, श्रीगंगानगर।</u>

पीठासीन अधिकारी : संदीप कौर, आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या 56/2016

CIS No. 58/2016

राजस्थान राज्य बनाम राकेश कुमार आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता।

उपस्थित 1. श्रीमती सुनीता कपूर विशेष लोक अभियोजक राज्य की ओर से।
2. श्री रजीराम अधिवक्ता परिवादी की ओर से ।
3. श्री श्रीराम अधिवक्ता, श्री रामचन्द्र धारणियां अधिवक्तागण आरोपीगण की ओर से।

<u>आदेश</u>

दिनांक 23.1.2019

परिवादी मोहनलाल द्वारा जरिये विशेष लोक अभियोजक एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 23.10.2017 को इन तथ्यों का पेश किया कि प्रकरण में प्रथमसूचना रिपोर्ट दिनांक 2.7.2016 को जरिये प्रार्थना–पत्र परिवादी मोहनलाल मृतका के पिता द्वारा दर्ज करवाई थी कि उसकी बेटी समिधा को जब से शादी हुई है तब से आज तक और दहेज लाने के लिये तंग परेशान करते हैं । उसकी बेटी को महावीर पुत्र अर्जुनराम, कृष्ण कुमार पुत्र अर्जुनराम, आशा देवी पत्नि अर्जुनराम, सावित्री पत्नि कृष्ण कुमार, रानी पत्नि अमीलाल सीताराम पुत्र रामकिशन व सावित्री देवी पत्नि सीताराम सभी ने एक साजिश रचकर मार दिया है। बाद तफतीश पुलिस ने महावीर व राकेश का ही चालान पेश किया है । पुलिस ने अभियुक्तगण के प्रभाव व दबाव में आकर गलत रूप से उक्त लोगों का नमा बतौर मुलजिम हटाया है। सभी मुलजिमान प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त हैं और उन सभी का कृत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्शाया गया है। दौराने तफतीश पुलिस ने परिवादी मोहनलाल के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन लेखबद्ध किये हैं जिसमें भी परिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले तंग परेशान व मारपीट किया करते थे । परिवादी मोहनलाल के कथनों में यह कथन भी अंकित है कि मेरी बेटी जब से शादी हुई है तब से आज तक उसके ससुराल परिवार मेरी बेटी समिधा को ओर दहेज लाने के लिये

तंग पेरशान करते आ रहे हैं। मेरी बेटी को महावीर पुत्र अर्जुनराम, कृष्ण कुमार, रानी पत्नि अमीलाल, सीताराम पुत्र रामकिशन व सावित्री पत्नि सीताराम ने साजिश रचकर मरवा दिया है। न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य में गवाह पी.ड.1 मोहनलाल मृतका का पिता, गवाह पी.ड.2 रामकुमार , गवाह पी.ड.3 कुमारी इशिता मृतका की बेटी, पी.ड.4 धर्मवीर , पी.ड.5 सुरेन्द्र मृतका के भाई के सशपथ कथन लेखबद्ध किये गये हैं, जिन्होंने उक्त मुलजिमान के कृत्यों का स्पष्ट वर्णन किया गया है। विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार प्रसंज्ञान के समय साक्ष्य का बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक नही है, यदि साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अपराध बनता हो तो उनके विरूद्ध उसके अपराध का प्रसज्ञांन लिया जा सकता है। इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाह मोहनलाल के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों से उक्त लोगों के विरूद्ध उनके किये गये कृत्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है और उनके विरूद्ध उनके द्वारा किये गये अपराध का प्रसज्ञांन लिये जाने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। मुलजिमान के विरूद्ध धारा 498ए, 302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसज्ञांन लेकर कार्यवाही करने की पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अंत में मुलजमान कृष्ण कुमार पुत्र अर्जुनराम, आशादेवी पत्नि अर्जुन राम, सावित्री पत्नि कृष्णकुमार, रानी पत्नि अमीलाल , निवासी 36 एलएनपी , सीताराम पुत्र श्री रामकिशन व सावित्री देवी पत्नि सीताराम डूड़ियावाली ढाणी जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध धारा 498ए, 302/120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का प्रसज्ञांन लिया जाकर उन्हें विधिअनुसार तलब कर दण्डित करने का निवेदन किया।

आरोपीगण की ओर से जवाब पेश कर अभिकथन किया कि प्रार्ज्ञिना–पत्र धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता गलत तथ्यों पर आधारित व विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण द्वारा मृतका समिधा को कभी भी तंग परेशान नही किया गया और ना ही कभी मारपीट किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 319 दण्डछ प्रक्रिया संहिता व पत्रावली पर एकत्रित की गई साक्ष्य में ऐसा कोई उल्लेख नही है कि किसने, किसके साथ कब व कहां समिधा को मारने के लिये षड़यन्त्र किया। समिधा का पति महावीर व बच्चों सहित अपने परिवार के सदस्यों से करीब 11 वर्ष से अलग मकान में

निवास करता था, जो परिवादी पक्ष के गवाहान रामकुमार, इशिता, सुरेन्द्र कुमार, मेनपाल, डाकटर संदीप , रामकिशन, व स्वतंत्र गवाहान आत्माराम, रामलाल , रणवीर कृष्णलाल , विनोद कुमार , साहबराम के कथनों से स्पष्ट है। परिवादी पक्ष के उक्त गवाहान द्वारा मृतका समिधा को केवल उनके पति आरोपी महावीर प्रसाद द्वारा ही तंग परेशान करना व मारपीट करना अपने बयानों में बताया गया है इससे स्पष्ट हे कि प्रार्थीगण को प्रकरण में झूठा फंसाया जा रहा है। प्रार्थीगण सीताराम पुत्र रामकिशन व सावित्री देवी पत्नि सीताराम डूडियांवाली ढाणी पीएस लालगढ़ जाटान तहसील सादलशहर जिला श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं जो कि घटनास्थल से करीब 150 किलोमीटर कीदूरी पर है जिनका इस घटना से कोई सरोकार नही है। दौराने अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा घटना के सम्बन्ध में विस्तृत अनुसंधान कर निष्कर्ष व पड़ोसियों के बयान लेखबद्ध किये जाकर प्रार्थीगण को निर्दोष माना गया है। कृष्ण कुमार पुत्र अर्जुनराम व उसकी पत्नि सावित्री देवी समिधा की शादी से पूर्व से ही अलग रहते थे। आशा देवी पत्नि अर्जुनराम, रानी पत्नि अमीलाल समिधा की शादी से दो वर्ष के बाद से ही अपने परिवार सहित महावीर व उसकी पत्नि से अलग रह रहे हैं। ग्राम पंचायत 34 एलएनपी के तत्कालीन सरंपच राकेश खीचड़ द्वारा दिनांक 20.1.2011 को अपने लैटर पेड पर प्रार्थीगण व मुलजिम महावीर के संबंध में एक पंचायत कर उसकी एक लिखित इस आशय की थी कि महावीर प्रसाद के पिता का देहान्त हो चुका है तथा यह अब अपनी माता व भाईयों से अलग रहता है, इसने अपनी पुश्तैनी जायदाद का हिस्सा भी अपने भाईयों से अलग ले रखा है तथा अब इसका अपने परिवार अर्थात भाई, बहन, बहनोई या माता से किसी प्रकार का मेल मिलाप या आना जाना नही है। प्रार्थी कृष्णलाल द्वारा जरिये शपथ–पत्र दिनांक 28.5.2014 अपने भाई महीवर व उसकी पत्नि समिधा को बेदखल किया गया था जिसकी बेदखली की सूचना दिनांक 29.5.2014 के सीमा सन्देश के अखबार में प्रकाशित करवाई गई थी । समिधा की पुत्री इशिता ने अपने पुलिस बयानों में यह कथन किया है कि उस दिन मेर ताऊ चाचा आदि हमारे घर नहीं आये थे वे कई वर्षो से हमारे घर नहीं आते थे। प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता आरोपीगण द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया–

1- 2012 Cr.L.R.(SC)179
Nupur Talwa (Dr.)(Mrs.)
vs CBI Delhi & Anr.
2- 2009(2) Cr.L.R.(Raj.) 1644
Upendra soni & Anr. vs State of Rajasthan & Anr.
3 1999Cr.L.R.(Raj.) 131
Mangal Chand vs State of Rajasthan & anr.
4- 2014 WLC (SC) Cri326 (SC)
Hardeep singh vs State of Punjab & Ors.
5 2010(1)WLC(SC)Criminal 111
Suman vs State of Rajasthan and another
6- 2013(1) Cr.L.R.(Raj.) 79
Ahmad Khan vs State of Rajasthan & Ors.
7 2012(2) Cr.L.R.(Raj.) 915
Hadmanram & Anr. vs State of Rajasthan & anr.
8- 2011 (1) Cr.L.R.(Raj.) 167
Ganpat ram vs State of Rajasthan & Ors.
9- 2018 (2) R.Cr.D. 462 (Raj.)
Mumtaj & Ors. vs State of Rajasthan & Anr.

आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये जिनका ससम्मान अवलोकन किया–

1- (2017)4 Supreme Court Cases (Cri)144
(2017) 7 Supreme Court Cases 706
Brijendra Singh and others vs State of Rajasthan
2 2018 (Suppl.) Cr.L.R.(Raj.) 63
Loknath Sharma vs State of Rajasthan & Ors.
3 2018 Cri.L.J. 1412
S.Mohammed Ispahani vs Yogendra Chandak and others
4- 1999Supreme Court Cases (Cri) 378
Vijayan vs State of Kerala
5- (2009) 1 Supreme Court Cases (Cri) 1006
Kailash vs State of Rajasthan and another
Crimial Appeal No. 416 of 2008 decided on March 3, 2008

6- (2009)1 Supreme Court Cases (Cri) 844
Lal Suraj allas Suraj Singh and another
vs State of Jharkhand

7. (2010) 1 Supreme Court Cases (Cri) 1278
(2009)14 Supreme Court Cases 25
Ram singh and others vs Ram niwas another

8- 2005 Supreme Court Cases (Cri)1715
Criminal Appeals Nos. 373-75 of 2004
State (NCT OF DELHI) vs Navjot Sandhu
alias afsan Guru
with

Criminal Appeal Nos. 376-78 of 2004
State (NCT OF DELHI) vs Syed Abdul Rehman
Gilani
with

Criminal Appeal Nos. 379-80 of 2004
Shaukat Hussain Guru vs State (Nct of Delhi)
with

Criminal Appeal Nos. 381 of 2004
Mohd.Afzal vs State (NCT of Delhi)

Criminal Appeals Nos. 373-75 of 2004 with NOs.
376 to 381 of 2004 decided on August 4, 2005

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में निम्नांनुसार प्रतिपादित किया गया है –

1- 2012 Cr.L.R.(SC)179
Nupur Talwa (Dr.)(Mrs.)
vs CBI Delhi & Anr.

Criminal Procedure Code, 1973- Sec.190(1)(b) Cognizance-Hight Court refused to interfere in the order of taking cognizance for the offence u/ss. 302/34 and 201/34 IPC-Magistrate did not accept the F.R.-Magistrate is not bound by the opinion of the I.O. and he is Competent to exercise his discretion - At the stage of taking cognizance , the Court has only to see whether prima facie there are reasons for issuing the process and whether the ingredients of the offence are there on record well reasoned order passed by the Magistrate- High Court has also passed a detailed speaking order- Concurrent orders-Held,

Interference declined.

2- 2009(2) Cr.L.R.(Raj.) 1644
Upendra soni & Anr. vs State of Rajasthan & Anr.

At the time of taking cognizance Courts are not required to scrutinize the evidence meticulously.

3- 1999Cr.L.R.(Raj.) 131
Mangal Chand vs State of Rajasthan & anr.

मजिस्ट्रेट एफआर से पाबन्द नहीं है– कारणों का विस्तृत विवेचन करना एवं विस्तृत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं है– थोड़े साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अपराध बनता है तो संज्ञान लेने के पश्चात प्रोसेस जारी किया जा सकता है।

4- 2014 WLC (SC) Cri326 (SC)
Hardeep singh vs State of Punjab & Ors.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, 319 व्याप्ति– धारा के अन्तर्गत शक्ति का प्रयोग केवल न्यायालय के समक्ष विचारण के मध्य प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। प्रयुक्त शब्द साक्ष्य का अर्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कथन या दस्तावेज किन्तु अन्वेषण के मध्य एकत्रित सामग्री नही । न्यायालय साक्षी के कथन के आधार पर ही अग्रसर हो सकेगा और उस पर कूट परीक्षण की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं क्योंकि वह तो आहूत अभियुक्त ही स्वंय करेगा। प्रथमसूचना रिपोर्ट में जिसका नाम न हो, आरोप–पत्र में जिसका नाम न हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किन्तु अन्य कहीं नामित न हो को सम्मन किया जा सकता है।

5- 2010(1)WLC(SC)Criminal 111
Suman vs State of Rajasthan and another

दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973, धारा 319 – व्याप्ति – दण्ड संहिता की धारा 498 क के अन्तर्गत अपराध–पुलिस ने परिवादिनी के पति और सास–ससुर के सम्बन्ध में नकारात्मक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की – मजिस्ट्रेट ने उन्हें धारा 319 के अन्तर्गत समन किया– औचित्य – मजिस्ट्रेट द्वारा अपने विवेक का प्रयोग न्यायोचित– न्यायालय की प्रक्रिया का कोई दुरूपयोग नहीं –हस्तक्षेप नहीं किया गया।

6- 2013(1) Cr.L.R.(Raj.) 79
Ahmad Khan vs State of Rajasthan & Ors.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973–धारा 319 – अनारोपित व्यक्तियों के विरूद्ध प्रसज्ञांन लेने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रथम सूचना रिपोर्ट में रेस्पाण्डेन्ट्स नामित हैं तथा दोनों चश्मदीद गवाहों ने उनके विरूद्ध कथन किया – अपराध में लिप्तता साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य– पी.ड.1 व पी.ड.2 की साक्ष्य को इस स्तर पर अनदेखा नहीं किया जा सका–निर्णित, आदेश अपास्त किया और अन्य अभियुक्त के साथ रेस्पाण्डेन्ट्स नम्बर 2 से 8 को विचारित किया जावे।

7- 2012(2) Cr.L.R.(Raj.) 915
Hadmanram & Anr. vs State of Rajasthan & anr.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, धारा 319 –अभियुक्त को तलब करने का आदेश – धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया– स्पष्ट आरोप कि प्रार्थीगण ने घटना में हिस्सा लिया– प्रार्थीगण के विरूद्ध गवाहों की एक समान साक्ष्य– तात्विक गवाहों के बयान अभिलिखित करने के तुरन्त बाद आवेदन पेश किया– निर्णित धारा 382 के अन्तर्गत हस्तक्षेप हेतु मामला नही बनता है।

8- 2011 (1) Cr.L.R.(Raj.) 167
Ganpat ram vs State of Rajasthan & Ors.

Criminal Procedure Code, 1973- Sec. 319- Scope of -All the witnesses have named the non-petitioners No. 7 to 9 alongwith co-accused persons in statements before the Court- Their names was averred even in thte F.I.R. -There is material on record to add non-petitioners No. 7 to 9 as accused- Held, Application filed u/s. 319 Cr.p.C. is allowed and trial Court is directed to pass fresh order for taking cognizance against non petitioners no. 7 to 9.

9- 2018 (2) R.Cr.D. 462 (Raj.)
Mumtaj & Ors. vs State of Rajasthan & Anr.
Ciminial Procedure Code, 1973 - Secs. 319 & 193 - Taking of cognizance-When justified -Police submitted challan against accused 'M' for offence under Sec. 306 Indian Penal Code- Judicial Magistrate committed the case to Sessions Judge- After committal, complainant filed application before Trial Court under Sec. 319 criminial Procedure Code for taking cognizance against petitioners- Trial Court, after examining the materials available on record including suicide note of deceased, proceeded to take cognizance against petitioners and issued bailable warrants for summoning them - Held, Trial Court was justified in taking cognizance against accused petitioners for offene under Sec. 306 Indian Penal Code.

आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतमें निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है –

1- (2017)4 Supreme Court Cases (Cri)144
(2017) 7 Supreme Court Cases 706
Brijendra Singh and others vs State of Rajasthan
"Evidence" herein means material that is brought before court during trial- Insofar as material/evidence collected by

IO at the state of inquiry is concerned , it can be utilised for corroboration and to support evdience recorded by court to invoke power under S. 319 Cr.PC- No doubt, such evidence that has surfaced in examination - in chief, without cross-examination of witnesses, can also be taken into consideration.

However , since it is a discretionary Power given to court under s. 319 and is also an extraordinary one, same has to be exercised sparingly and only is those cases where circumstances of case so warrant- Degree of satisfaction is more than degree which is warranted at the time of framing of charges against others in respect of whom charge-sheet was filed- Only where strong and cogent evidene occurs against a person from evdience led before the court, that such power should be exercised- It is not to be exercised in a casual or a cavalier manner - The prima facie opinion which is to be formed requires stronger evdience than mere probability of his complicity .

.....

2- 2018 (Suppl.) Cr.L.R.(Raj.) 63
Loknath Sharma vs State of Rajasthan & Ors.

Ciminal Procdure Code, 1973 -Sec. 319 - Trial Crout rejected the application filed under section 319 Cr.P.C.- Application field at the stage of recording statements under Sectin 313 Cr.P.C. On the basis of statement of petitioner himself and PW 2, the petitioner prayed to take cognizance against the respondent Nos. 2 to 4 - No sufficent evdience to prove the charges of conspiracy- I.O. clearly stated that no evidence of involvement of respondent Nos 2 to 4 was found-Held , Trial Court has rightly rejected the application.

3. 2018 Cri.L.J. 1412
S.Mohammed Ispahani vs Yogendra Chandak and others

Complainant and prosecution witnesses not alleging any conspiracy on part of landlords- Landlords not present at place of incident- In absence of evdience within meaning of S.319 for

summoning landlords as accused persons- Landlords cannot be added and summoned as accused persons.

Complainant to be given opportunity to file protest petiton urging upon trial Court to summon other persons though named in FIR but not implicated in charge-sheet- Upon lapse of such stage, court under S. 319 can summon person as accused when during trial some evidence surfaces against proposed accused.

4. 1999Supreme Court Cases (Cri) 378
Vijayan vs State of Kerala

Penal Code, 1860 Ss. 120 B and 302 - Criminal conspiracy- Prosecution must esablish a connection between alleged conspiracy and act done pursuant to the conspiracy.

--

5- (2009) 1 Supreme Court Cases (Cri) 1006
Kailash vs State of Rajasthan and another
Crimial Appeal No. 416 of 2008 decided on March 3, 2008

Criminal Procedure Code, 1973 - S.319 Scope of -Relevant factors to be considered for exercising jurisdiction under, restated- Trial court dismissed the application under s. 319 after evaluating the statement of witnesses made to police as well as their statement made before the trial court which were improved versions -Even if additonal accused was present, trial court concluded against his participation and found no justification to array him as an accused- Hight Court set aside the order of trial Court- Held , order of High Court is erroneous- Hight court was required to consider the evidene on record independently that whether there was any material in the evidene not only to connect the appellant but whether it was sufficent to justify the words "it appears that such person has committed the crime" -Words " it appears" in S.319 are not to be read lightly - Reliance placed by Hight Court on Shashikant Singh case, (2002) 5 SCC 738 was misplaced.

6- (2009)1 Supreme Court Cases (Cri) 844
Lal Suraj allas Suraj Singh and another
vs State of Jharkhand

Ciminial Procdeure Code, 1973- S. 319 -Nature , scope and applicability- Trial of persons not already arraigned as accused- Evidence on basis of which may be ordered- Evidence of person not eyewitness and another a hearsay witness - Held , power under S.319 is required to be exercised very sparingly- Before order summoning such persons is passed, trial court must form an opinion on the basis of evidence brought before, it that a

case has been made out that such person could be tried together with the other accused- On facts, in a murder trial, indisputably , no charge-sheet was filed against the appellants, hence , no cognizance was taken against them- However , trial court , relying upon the evidence of PWas 6 and 7 , allowed the application for fummoning appellants, exercising power under S.319 - Revision filed by appellants thereagainst dismissed by High Court- sustainability- Held , both trial court and Hight Court relied on the deposition of PWs6 and d7- However , PW6 was not an eyewitness to the occurrence and PW7 was only a hearsay witness- Therefore , no evidence worth the name was brought on record to arrive at a satisfaction that there was a reasonable prospect of conviction of the appeallants- Under S. 319, the court has to exercise its power on the basis of fresh evidence brought before it- Hence , on the basis of aforementioned evidence, there was no possibility of recording judgment of conviction against appellants- Thus , impugned orders set aside.

7. (2010) 1 Supreme Court Cases (Cri) 1278
(2009)14 Supreme Court Cases 25

A prima facie view would not be enought- Court must satisfy itself about existence of an extraordinary situation enabling it to exercise the extraordinary jurisdiction under S. 319 - Power under S. 319 must be exercised very sparingly and not as a matter of course.

Held , Hight Court seriously erred in proceeding on premise that mere existence of a prima facie case would be sufficient to exercise jurisdiction under S. 319 - Word " appears" in S. 319 makes it necessary for court to arrive at a satisfaction that the evidence adduced on behalf of prosecutin, if unrebutted, would lead to conviction of persons sought to be added as accused- Discretionary jurisdiction under S. 319 can be exercised only after the legal evidence comes on record and from that evidence it appears that the person concerned has committed an offence- Hight Court furthermore seriously erred unsofar as it failed to take into consideration that when order was passed, trial court was in aposition to consider evidence brought on record including cross-

examination of prosecution witnesses- HIght court did not arrive at any finding that a case was made our for exercise of the extraordinary jurisdiction under S. 319 , which is required to be exercised very sparingly.

8. **2005 Supreme Court Cases (Cri)1715**
Criminal Appeals Nos. 373-75 of 2004
State (NCT OF DELHI) vs Navjot Sandhu alias afsan Guru
with

Criminal Appeal Nos. 376-78 of 2004
State (NCT OF DELHI) vs Syed Abdul Rehman Gilani
with

Criminal Appeal Nos. 379-80 of 2004
Shaukat Hussain Guru vs State (Nct of Delhi)
with

Criminal Appeal Nos. 381 of 2004
Mohd.Afzal vs State (NCT of Delhi)

Criminal Appeals Nos. 373-75 of 2004 with NOs. 376 to 381 of 2004 decided on August 4, 2005

Conspiracy Elements of offence Various aspects necessary to constitute the offence, discussed: (1) need for illegal agreement;(2) no need for overt act; (3) nature of agreement necessary - express agreement; (4) extent of comity/agreement/intention on part of conspirators necessary; (5) extent of involvement of each conspirator necessary in respect of various parts./ intended offences of conspiracy; (6) extent of temporal involvement of each conspirator necessary; and (7) period for which conspiracy exists.

गवाहान पी.ड.1 मोहनलाल, पी.ड.2 रामकुमार, पी.ड.3 कु.

ईशिता, पी.ड.5 सुरेन्द्र की अभिसाक्ष्य प्रार्थना–पत्र के निस्तारण हेतु अहमियत रखती है।

बयान गवाह पीडब्ल्यू 01 मोहनलाल ने कथन किया है कि मैंने मेरी बेटी की शादी में अपनी हैसियत से अधिक दहेज दिया था। शादी के दो तीन साल बाद मेरी लड़की ने मुझे बताया कि मेरा जेठ कृष्णलाल, जेठानी सावित्री, सास आशी देवी, ननदोई सीताराम पुत्र रामकिशन, मेरा पति महावीर व ननद सावित्री ने मुझे नकदी के लिए परेशान करते और लड़ाई झगड़ा करते थे। मेरी लड़की मुझे फोन पर बताती तो मैं उसके ससुराल जाता और पंचायत करता। थोड़े दिन तो उसके ससुरालवाले राजी रहते फिर वही करना शुरू कर देते। मैंने मेरी लड़की द्वारा मांगने पर कभी पांच हजार रूपये दिये कभी दस हजार रूपये दियें मेरा लड़का बैंक में नौकरी लग गया तो उसके बाद तो मेरी लड़की के ससुरालवालों ने मेरी लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा और करना शुरू कर दिया और मारपीट करते। मेरी लड़की का जेठ कृष्णलाल, जेठानी सावित्री, सास आशी देवी, ननदोई सीताराम पुत्र रामकिशन, उसका पति महावीर व ननद सावित्री मारपीट करते व लड़ाई झगड़ा करते और दहेज की मांग करते मेरी लड़की व मैंने थाने में इस बाबत् महावीर व अन्य के विरूद्ध दरख्वास्त दी थी। फिर मैंने महिला आयोग व कलैक्ट्रेट साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी थी फिर कलेक्टर साहब ने घमूड़वाली थाने वालों को कार्यवाही करने के लिए कहा तो घ ामूड़वाली थाने में महावीर प्रसाद व अन्य ने मेरी लड़की ने थाने में पुलिस के सामने ही मेरी लड़की को जान से मारने को उतारू हो गये। फिर पुलिस वालों ने मजि. पदमपुर के समक्ष महावीर को पाबंद किया था। उसके बाद मेरी लड़की अकेली रहती थी क्योंकि एक साल पहले मेरा जंवाई महावीर जालौर में टीचर लग गया था। मेरी लड़की का कृष्णकुमार, महावीर प्रसाद व उसके परिवार वालों ने साजिश के तहत कत्ल करवाया है। महावीर प्रसाद व उसके परिवार वालों ने मेरी लड़की से नकदी मांगते थे। एक बार 2013 में महावीर प्रसाद और उसके परिवार वालों ने मेरी लड़की को मारा पीटा था जिससे उसकी चूखने, पीठ व गर्दन पर चोट आई थी। महावीर प्रसाद व कृष्ण कुमार वगैरह समीधा को घटना से पूर्व जान से मारने की धमकी देता था। अभियुक्त महावीर प्रसाद को पूर्व में पाबंद करने की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–06 है व इस्तगासा धारा 107, 103 प्रदर्श पी–07 है व गिरफ्तारी महावीर प्रसाद प्रदर्श पी–08 है। पूर्व में मेरी लड़की से मारपीट करने व दहेज मांगने की एफआईआर प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी–9 व 10 है। मेरी लड़की समीधा को महावीर प्रसाद व कृष्ण कुमार वगैरह ने

योजनाबद्ध तरीके से मरवाया है। प्रतिपरीक्षण मे गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि रिश्ता व शादी राजीखुशी हुई थी व शादी बिना शर्त के हुई थी। यह सही है कि महावीर व उसके परिवार के पास काफी जमीन है जो हमारी से ज्यादा है, उक्त जमीन सांझी है। यह सही है कि समीधा अबोहर की रहने वाली है और घमूड़वाली छोटा सा गांव है। यह सही है कि शादी के दो साल तह समीघा ने कोई शिकायत मुझे नहीं की थी। शादी के तीन–चार साल बाद महावीर परिवार से अलग हो गया, अजखुद कहा कि काम सांझा था। यह सही है कि मेरे बच्चे का बैंक में लग जाने के बाद मुल्जिमान द्वारा समीघा को ज्यादा परेशान किया जाना मेरी दरख्वास्त प्रदर्श पी–1 व पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में नहीं लिखी है। यह कहना सही है कि महावीर वगैरह द्वारा पैसे मांगने वाली बात मेरी दरख्वास्त प्रदर्श पी–01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में नहीं लिखी है। यह सही है कि हमने पूर्व में मेरी लड़की से दहेज मांगने का केस लगाया था जिसे पुलि सने झूठ मानते हुए एफआर दी थी। मैंने महिला आयोग में, कलैक्टर साहब को दरख्वास्त देना व कलेक्टर साहब द्वारा पुलिस भेजने का हवाला भी मेरी दरख्वास्त प्रदर्श पी–01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में नहीं लिखी है। पुलिस का महावीर को पाबंद करने का भी मेरी दरख्वास्त प्रदर्श पी–01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में नहीं लिखी है। घटना के वक्त मुल्जिम महावीर की पोस्टिंग जालौर थी या कहीं ओर थी मुझे नहीं पता। कृष्णकुमार व सीताराम वगैरह द्वारा दहेज के लिए मारपीट करना वाली बात मेरी दरख्वास्त प्रदर्श पी–01 व पुलिस बयान प्रदर्श डी–02 में नहीं लिखी है।

बयान गवाह पीडब्ल्यू 02 रामकुमार ने कथन किया है कि सुमीघा की शादी के तीन साल बाद समीघा ने मुझे बताया कि मेरा पति महावीर और मेरी सास, मेरा जेठ कृष्ण कुमार व उसकी पत्नी, महावीर का बहनोई सीताराम, ननद, जेठानी रानी पत्नी अमीलाल आदि मुझे कम दहेज लाने के लिए तंग परेशान करते हैं व कहते हैं कि अगर तू दहेज नहीं लायेगी तो तेरे को जान से मार दूंगा या किसी से मरवा दूंगा। उसने बताया कि उसके साथ गाली गलौच करना व मारपीट करना आम बात थी। इस सम्बन्ध में मैंने बहुत सी पंचायत की। पंचायतें गंगानगर, जण्डवाला हनुवंता, अबोहर में व ढाणी चिश्तियां व 36 एलएनपी में हुई थी। पंचायत में हमने महावीर को समझााय कि लड़की का पिता ज्यादा दहेज देने के काबिल नहीं हैं। समीघा का कत्ल एक सोची समझी साजिश महावीर व उसके परिवार की है जो दहेज के लिए दहेज की मांग करने अ ैर उसे पूरा न करने के लिए समीघा का कत्ल करवाया। दिनांक 05.07.2016

को मैं मोहनलाल के घर बैठने के लिऐ गया जब समीघा की बेटी ईशिता ने बताया कि मेरी मां का कत्ल राकेश नामक व्यक्ति जो हमारे चिनाई का काम करता था, उसने किया है और वह कत्ल उसके पति महावीर व उसके परिवार द्व ारा एक साजिश रचकर करवाया गया है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि समीघा अपनी नौकरी के दौरान किस किस जगह पर पदस्थापित रही व किन किन के मकान में किराये पर रही कि मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। मैने समीघा की अन्तिम पोस्टिंग गांव 34 एलएनपी में होना सुना था। समीघा की मोबाईल नम्बर मुझे याद नहीं परन्तु मेरी डायरी में लिखा हुआ है। ईशिता का जन्म किस तारीख को हुआ मुझे नहीं मालूम। यह कहना गलत है कि मैं घटना से पूर्व 36 एलएनपी न गया होउं। घटना के समय महावीर की पोस्टिंग जालौर के आस–पास थी। यह रिश्ता किसने करवाया था मुझे मालूम नहीं। मुझे नहीं पता कि शादी से पूर्व लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा या नहीं। घटना के समय महावीर सरकारी नौकरी में था और उसके पास जमीन था। महावीर लगभग एक साल पहले ही नौकरी लगा है। आज ईशिता न्यायालय में हाजिर है या नहीं मैं नहीं बता सकता।

बयान गवाह पीडब्ल्यू 3 कुमारी ईशिता ने कथन किया है कि मेरे पापा मेरी मम्मी के साथ मारपीट करते थे और गन्दी गन्दी गालियां निकालते थे और और उसे जान से मारने की धमकी देते थे। घर पर कोई फोन आता था तो मेरे पिताजी शक करते थे और झगड़ा करते थे। मेरे पापा मेरी मम्मी को रांड चूड़ी की गालियां निकालते थे और कहते थे कि मुझे मारकर छोड़गा या मरवाकर छोडूगा । मेरे पापा ने ही राकेश से मेरी मम्मी को मरवाया है। मेरे ताया कृष्णलाल व ताई, सीताराम फूफा और रानी ताई औ बुआ और बड़े वाले ताये सोहन और दीपो और बुआ और महावीर प्रसाद सब ने मिलकर मेरी मम्मी को मरवाया है। ये बारी बारी आकर मेरी मम्मी से पैसे मांगते थे। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया ह ैकि घटना के रोज मेरे ताया, चाचा, दादी व परिवार के सदस्य नहीं आये थे। परिवार के उक्त सदस्य पहले हमारे घर आते थे, अब नहीं आते।

बयान गवाह पीडब्ल्यू 05 सुरेन्द्र का कथन है कि महावीर व उसका परिवार मेरी बहन को मारने व मरवाने की धमकियां देता था। कई बार इस बात पंचायते भी हुई। दो बार घमूड़वाली थाने में इस बाबत् मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पंचायतों में महावीर व उसके परिवार ने अपनी गलतियां कबूली। मेरी बहन को महावीर द्वारा तंग–परेशान किये जाने पर मेरी बहन ने कलेक्टर व जज साहब पदमपुर को एक लिखित दरख्वास्त दी थी। मेरी बहन को महावीर व उसके परिवार वाले कृष्णलाल, संदीप कुमार, सावित्री देवी आदि ने पूरी जातिश करके राकेश कुमार से मेरी बहन को मरवा दिया। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि शादी के समय एमए की हुई थी। शादी के बाद समीघा ने बीएड की थी अजखुद कहा कि खर्चा हमने किया था। यह सही है कि समीघा ने पढ़ाई ससुराल में रहकर की थी। मैं वार–त्यौहारों पर जाता था वो भी वार–त्यौहारों पर आती थी।

साक्षीगण के बयानों का समग्र पठन करने पर यह प्रकट होता है कि महावीर का परिवार समीधाके परिवार से आर्थिक तौर पर ज्यादा सुदृढ़ था। समीधा के पिता के बयानों में की गई स्वीकृति के आधार पर यह प्रकट होता है कि शादी के समय किसी प्रकार की दहेज की मांग समीधा के ससुराल वालों द्वारा नही की गई थी। साक्षीगण ने ऐसे किसी विशिष्ट वाकया को प्रकट नही किया है जिसके तहत समीधा के ससुराल वालों ने उसे दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान किया हो अथवा शादी के बाद उन्होंने किसी विशेष चीजं की मांग की हो । बयानों से यह भी प्रकट होता है कि शादी के दो साल बाद तक समीधा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत अपने पीहर वालों से नहीं की थी।

पी.ड.5 सुरेन्द्र समीधा के भाई ने यह जाहिर किया है कि शादी के बाद समीधा ने बी.एड की पढ़ाई ससुराल में रहकर की थी वह त्यौहारों पर पीहर आती जाती थी और पीहर वाले उसके पास आते जाते थे। इससे यह प्रकट होता है कि पढ़ाई पूरी करने हेतु समीधा के ससुराल वालों ने उसे सहयोग दिया और जरूरी सुविधायें मुहैया कराई और समीधा के ससुराल व पीहर वालों के मध्य पारिवारिक रिश्ते सामान्य थे।

उपरोक्त साक्षीगण के बयानों में यह बात आयी है कि महावीर और समीधा शादी के तीन चार साल बाद महावीर के परिवार से अलग रहने

लगे। घटना से एक साल पहले समीधा के पति को जालौर में नौकरी मिल गई और जिसके सिलसिले में वह जालौर रहने लगा था।

कलेक्टर साहब और महिला आयोग को जो शिकायत समीधा द्वारा पेश की गई , उन्हें मोहनलाल ने अपने बयानों में प्रदर्शित नही करवाया है और न ही उनका हवाला प्राथमिकी अथवा अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में दिया है। ससुराल वालों द्वारा दहेज हेतु तंग करने बाबत जो आरोप मोहनलाल ने लगाये हैं, उनका हवाला प्राथमिकी में मोहनलाल ने बिना विशिष्ट तथ्यों के सामान्य रूप से दिया है। महावीर को धारा 107, 151 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही के तहत पाबन्द करने की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी 6, इस्तगासा प्रदर्श पी 7 और धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज करवाई गई एफआईआर प्रदर्श पी 9 व 10 , सभी दस्तावेजात वर्ष्ज्ञ 2013 से सम्बन्धित हैं। प्रकरण की घटना वर्ष 2016 में घटित हुई है । इस प्रकार वर्ष 2013 से 2016 के मध्य किसी प्रकार की शिकायत करने के दस्तावेज परिवादी की ओर से पेश नही किये गये हैं। प्रकरण में यह तथ्य गौर तलब है कि दहेज मांगने के केस में पुलिस के द्वारा एफआर लगा दी गई। जिस तथ्य की स्वीकारोक्ति मोहनलाल के द्वारा की गई है ।

साक्षी रामकुमार ने अपने बयानों में ईशिता की न्यायालय में मौजूदगी बताने बाबत असमर्थता जताई है । इस गवाह ने समीधा की नौकरी के दौरान अलग–अलग स्थानों पर पदस्थापित रहने, अलग–अलग व्यक्तियों के मकान में किराये पर रहने, उसकी शादी का रिश्ता करवाने वाले व्यक्ति , शादी के पूर्व लड़का लड़की के एक दूसरे को देखने के तथ्य इत्यादि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होना बताया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह तथ्य अहमियत रखता है कि उपरोक्त तथ्यों बाबत अनभिज्ञता के बावजूद इस गवाह ने यह जाहिर किया है कि समीधा उसे उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज हेतु तंग परेशान करने बाबत बातें बताया करती थी।

ईशिता ने अपने पिता के रिश्तेदार यानि की समीधा के ससुराल वालों बाबत किसी ऐसे विशिष्ट वाकया का जिक्र नही किया जब कृष्ण कुमार, आशा देवी, सावित्री पत्नि कृष्णकुमार, रानी, सीताराम, सावित्री देवी पत्नि सीताराम ने उसकी माता से पैसों की माग की हो ।

इशिता ने अपने बयानों में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा उसकी माता से बार'–बार पैसे मांगे जाने बाबत केवल सामान्य कथन ही किये हैं। किसी प्रकार का विशेष ब्यौरा उस बाबत प्रकट नही किया है।

उपरोक्त साक्षीगण ने अपने बयानों में ऐसा कुछ भी प्रकट नही किया है कि किसने, किसके साथ कब और कहां समीधा की हत्या के सम्बन्ध में षड़यन्त्र रचा । बयानों में किसी भी साक्षी ने ऐसे विशिष्ट वाकया बाबत प्रकटीकरण नही किया है जो कि षड़यन्त्र का खुलासा करता हो । ईशिता समीधा की हत्या की चश्मदीद साक्षी है। उसने राकेश के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा हत्या में शामिल होने बाबत कथन नही किये हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राकेश को किसी प्रकार का सहयोग प्रदान करने का बयान दिया है। ईशिता ने मौके पर अन्य किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी जाहिर नही की है । साक्षीगण ने आरोपीगण द्वारा किये गये ऐसे किसी कृत्य जो कि उनका हत्या के षड़यन्त्र में शामिल होने के तथ्य को इंगित करता हो बाबत अभिसाक्ष्य नहीं दी है। उपरोक्त साक्षीगण ने केवल सामान्य कथन किये हैं कि आरोपीगण समीधा को दहेज के लिये तंग परेशान करते थे और सभी ने साजिश रचकर समीधा को मार दिया ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय का मत है कि उसकी बिनाय पर ऐसी राय कायम नही की जा सकती कि अभियेाजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश की गई, जो कि आरोपीगण कृष्ण कुमार, आशा देवी, सावित्री पत्नि कृष्णकुमार, रानी, सीताराम, सावित्री देवी पत्नि सीताराम के विरूद्ध समीधा की हत्या कारित करने की साजिश रचने के तथ्य को प्रकट करती हो। उपरोक्त साक्षीगण के कथन कि आरोपीगण समीधा को दहेज के लिये तंग परेशान करते थे और सभी ने साजिश रचकर समीधा को मार दिया, उक्त व्यक्तियों को राकेश व महावीर के साथ प्रकरण में विचारण हेतु तलब करने के लिये , हरदीप सिंह बनाम स्टेट में प्रतिपादित साक्ष्य के माणक , "Strong & Cogent evidence." की श्रेणी में नहीं आयेगें।

अतः उपरोक्त तमाम विववेचनानुसार परिवादी का प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

फलतः प्रार्थी/ परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(संदीप कौर)

आदेश आज दिनांक 23.1.2019 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संदीप कौर)